

प्रोत्साहन
सहायताये

**(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-I,
SECTION-I)**

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
(Department of Industrial Policy & Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, January 08, 2003

No. 1 (10) 2001-NER. The Government of India is pleased to make the following scheme of Central Grant or Subsidy for Industrial units in the State of Uttaranchal and Himachal Pradesh with a view to accelerating the industrial development in the States.

- 1. Short Title**
The scheme may be called the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003.
- 2. Commencement and duration of the Scheme**
It will come into effect from 7th January, 2003 and remain in force upto and inclusive of 06.01.2003.
- 3. Applicability of the Scheme**
The scheme is applicable to all industrial units in the Growth Centres approved for Uttaranchal and Himachal Pradesh and also to the new industrial units or existing units, on their substantial expansion, in Growth Centres or Industrial Infrastructure Development Centres (IIDC) or industrial estates/parks/export promotion zones and commercial estates set up by states of Uttaranchal and Himachal Pradesh and to new industrial units or existing units on their substantial expansion in the specified thrust industries (as at Annexure) located outside these growth centres and other identified locations.
- 4. Eligibility period**
The subsidy will be available during the duration of the scheme, to an eligible industrial unit for a period of ten years from date of commencement of commercial production
- 5. Definitions**
 - (a) 'Industrial Unit' means any industrial unit where a manufacturing programme is carried on or suitable servicing unit as defined in M/o SSI Letter No. 2(3)/91-SSI. Bd datd 30-9-1991, other than that run Departmentally by Government.
 - (b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 7th January, 2003.
 - (c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit existing as on 7th January, 2003.
 - (d) 'Substantial Expansion' means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity/modernization and diversification.
 - (e) 'Effective steps' means one or more of the following steps :-
 - (i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up;
 - (ii) that any part of the factory building required for manufacturing activity has been constructed;
 - (iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.
 - (a) 'Fixed Capital Investment' means investment in plant and machinery for the purpose of this scheme.
- 6. Extent of admissible subsidy**
All eligible industrial units located in the Growth Centres or IIDC or industrial estates/parks/export promotion zones and commercial estates set up in

Uttaranchal and Himachal Pradesh shall be given capital investment subsidy at the rate 15% of their fixed capital investment in respect of new units or additional investment in respect of substantial expansion by an existing units in the plant and machinery, subject to a maximum ceiling of Rs. 30 lakh.

- 6.1** Similar benefits would also be extended to the new industrial units or to the existing units, on their substantial expansion, in other Growth Centres or IIDC or industrial estates/parks/export promotion zones and commercial estates set up by the Governments of Uttaranchal and Himachal Pradesh, new industrial unit or to the existing units, on their substantial expansion in the specified thrust industries (as at Annexure) located outside these growth centres and other identified locations, would also be eligible for similar fiscal incentives.

7 Plant & Machinery

In calculating the value of plant and machinery, the cost of industrial plant and machinery as erected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost.

7 (a) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilised for transport of raw material and marketing of the finished products, will be taken into account.

7(b) Working capital including raw materials and other consumables stores, will be excluded for computing value of plant and machinery.

8. Designated agency for disbursement of subsidy

The designated agency for disbursement of Capital Investment Subsidy will be notified in consultation with the State Governments concerned.

9. Procedure for claiming Capital Investment Subsidy

Industrial units eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the State Industries Department prior to taking effective steps for setting up the new units or undertaking substantial expansion of the existing units and indicate, in their claim for investment subsidy, their assessment of the total fixed capital/additional fixed capital likely to be invested by them in the plant and machinery of their unit.

10. Procedure for disbursement of Capital Investment Subsidy

The State Government will set up a Committee consisting of a representative each of the State Finance Department and State Directorate of Industries and if the industrial unit is to be assisted by a financial institution, the representative of the financial institution concerned, which would go into each case to decide whether it should qualify for the grant of subsidy and also about the quantum of subsidy.

10.1 In respect of a new industrial unit set up without assistance from the financial institutions or the State Government, the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Government at the time the unit goes into production. Similarly, in respect of substantial expansion by an existing industrial unit without assistance from the financial institutions of the State Government, the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Government after substantial expansion has been effected and the unit has gone into the increased production. However, in such cases, where the State Government is satisfied about the safety of the public funds, not more than half of the amount of the estimated subsidy may be released prior to the unit going into production on the entrepreneur's furnishing a proof of having taken effective steps to the satisfaction of State Directorate of Industries and the remaining amount be released only after the unit goes into production.

- 10.2 In respect of an industrial unit to be assisted by the State Government, the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Government. In such cases, the contract/agreement to be drawn up between the State Government and the unit concerned, may cover mortgage, pledge, hypothecation of the assets upto the amount of the subsidy. In respect of new industrial unit or in respect of substantial expansion of an existing industrial unit to be assisted by a financial institution the subsidy will be disbursed to the unit by the financial institution in as many instalments as the loan is disbursed by the financial institution and simultaneously claimed by the financial institution from Designated Agency. In such cases, the contract/agreement to be drawn up between the financial institution and the unit concerned may cover mortgage/pledge/hypothecation of the assets of the unit upto the amount of the loan to be advanced by the financial institution concerned and the subsidy.
- 11. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions**
If the Central Government/State Government/Financial Institutions concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of production within 5 years after commencement, the Central Government/State Government/Financial Institution concerned may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.
12. Without taking prior approval of the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government/Financial Institution concerned, no owner of an Industrial unit, after receiving a part or the whole of the grant or subsidy, will be allowed to change the location of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment, within a period of 5 years after its going into production.
13. In respect of all units to whom the grant or subsidy has been disbursed by the Financial Institution/State Government, certificate of utilization of the grant or subsidy for the purpose for which it was given, shall be furnished to the Central Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion by the Financial Institution/State Government within a period of one year from the date of receipt of the last instalment/full amount.
14. After receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government (as may be designated) about its working for a period of 5 years after going into production.

(S. JAGADEESAN)
Joint Secretary.

Annexure

THRUST INDUSTRIES INCLUDED IN ANNEXURE II OF O.M. NO. 1 (10)/2001-
NER DATED 7-01-2003 OF NEW INDUSTRIAL POLICY AND OTHER
CONCESSIONS FOR THE STATES OF UTTARANCHAL AND HIMACHAL
PRADESH

Sl. No.	Activity	4/6 digit Excise Classification	Subclass under NIC Classification 1998
1.	Floriculture	-	-
2.	Medicinal herbs and aromatic herbs etc. processing	-	-
3.	Honey	-	-
4.	Horticulture and Agro based industries such as a. Sauces, Ketchup etc. b. Fruit, Juices & Fruit pulp c. Jams, Jellies, Vegetable juices, Puree, Pickles etc. d. Preserved fruits and vegetables e. Processing of fresh fruits and vegetables including packaging f. Processing, preservation packaging of mushrooms	21.03 2202.40 - 20.01 -	15135 to 15137 & 15139 - - - -
5.	Food Processing Industry excluding those included in the negative list	19.01 to 19.04	-
6.	Sugar and its by-products		
7.	Silk and Silk Products	50.04 50.05	17116
8.	Wool and Wool Products	51.01 to 51.12	17117
9.	Woven fabrics (Excisable garments)		
10.	Sports goods and articles and equipment for general physical exercise and equipment for adventure sports/activities, tourism (to be separately specified)	9506.00	
11.	Paper & paper products excluding those in negative list (as per excise classification)	-	-
12.	Pharma Products	30.03 to 30.05	-
13.	Information & Communication Technology Industry Computer Hardware Call Centres	84.71	- 30006/7
14.	Bottling of mineral water	2201	-
15.	Eco-Tourism Hotels, Resorts spa, entertainment/amusement parks and ropeways	-	55101
16.	Industrial gases (based on atmospheric fraction)		
17.	Handicrafts		
18.	Non-timber forest product based industries.		

DIRECTORATE OF INDUSTRIES, UTTARANCHAL

**APPLICATION FORM FOR CLAIM OF CENTRAL CAPITAL INVESTMENT
SUBSIDY SCHEME – 2003**

1. a) Name of the Industrial Unit : _____
- b) Office address with Telephone No. (if any) : _____
- c) Factory Address with Telephone No. (if any) : _____
2. a) Constitution of the unit (please specify, whether Proprietor/ Partnership/ Private Limited/ Limited Company/ Co-operative Society) : _____
- b) Name(s), Address(es) of the Proprietor/ Partners/ Directors of the Board of Directors/ Secretary and President of the Co-operative Society/Trustee : _____
- c) Date of Registration under the Companies Act/ or the concerned Act (Act should be clearly stated) : _____
- d) Registered Head Office of the company : _____
3. Details of Registration of the Unit
 - a) SSI Registration : _____
 - i) Provisional Registration No. : _____
 - ii) Permanent Registration No. : _____
 - b) Larg and Medium Number and date of industrial Licence/Letter of Intent/Industrial Entrepreneurs Memorandum : _____
 - c) CIS registration No. & Date, CIS registration issued by : _____
4. Whether the proposed/ New/ Existing unit undergoing substantial expansion*
 - a) In case of new/ proposed unit
 - i) Name of the product manufactured/Activity : _____
 - ii) Proposed date of commencement of production : _____
 - iii) Date of going into commercial production : _____
 - b) In case of existing unit undergoing substantial expansion
 - i) Name of the product manufactured/ Activity before substantial expansion : _____
 - ii) Name of the product manufactured/Activity after substantial expansion : _____
 - iii) Proposed date of going into commercial production after expansion : _____
 - iv) Date of going into commercial production after expansion : _____

*** Substantial expansion as defined in G.O.I. notification dated 08.03.2003 vide para-5(d)**

5. a) Details of Capital Investment : _____
proposed (Attach C.A. Certificate)
-

		For Proposed/ new unit (Actual Investment in Lakhs Rs.)	For existing unit undergoing expansion (Actual Investment)		
			Prior expansion upto 07.01.2003	Expansion after 07.01.2003	% increase
a)	Land				
b)	Site Development				
c)	Building				
	i) Office Building				
	ii) Factory Building				
d)	* Plant & Machinery				
e)	* Accessories				
f)	Installation and electrification				
g)	Preliminary & Preoperative exp.				
h)	* Miscellaneous fixed assets (Goods Carrier etc.)				
	TOTAL :-				

5. b) Details of effective steps taken in case of the New Industrial unit and position as on (Attach C.A. Certificate)

	Details	Prior to 07.01.2003	to After 07.01.2003
(i)	Total Capital Issue (Rs.)		
(ii)	Capital issued paid up (Rs.)		
(iii)	% of capital issued paid (Rs.)		
(iv)	State of construction of factory building required for manufacturing Activity.		
(v)	State of placement of order for plant & machinery (in Rs.)		

5. c) Name of Bank/Financial Institution and A/C No.
(d) Means of Finance

		For proposed/ new unit (Please specify Actual or Proposed Investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed Investment)	
			Prior expansion	After Expansion
a)	Own Capital			
b)	Financial Institution/Bank i) Term Loan ii) Working Capital			
c)	Other Sources			

6. Land :

- (a) Owned/Lease Hold and period of lease Rental :
(b) Value of Land/Annual Premium/Rent :

(Attached relevant documentary proof) * As specified in para-7 of the G.O.I.'s notification dated 08.01.2003

7. Power :

- a) Date of sanction of power and load :
 b) Connected load and date of :
 connection

Details of production of the unit (for proposed/new/expansion)

		Annual Proposed/ installed capacity of the new unit		Installed Capacity Prior Expansion		Annual Proposed/ Installed capacity after expansion	
		Quantity	Value in Rs.	Quantity	Value in Rs.	Quantity	Value in Rs.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

8. Proposed/Working employment position in :
 the unit

Category	For New Unit	Expansion Unit Before	After
----------	--------------	--------------------------	-------

1. Managerial
2. Supervisory
3. Skilled
4. Semi Skilled
5. Others

TOTAL :

9. Claim of Central Capital Investment Subsidy :

	Particulars	Capacity Investment in Rs.	
		Proposed	Actual
(a)	The cost of industrial plant & Machinery erected or likely to be erected at site		
(b)	Cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost.		
(c)	Cost of goods carrier as admissible under para-7(a) of the G.O.I. notification dated 08.01.2003		
	Total Capital Investment :-		
(d)	Amount of CIS claimed @ 15%		

(Please enclose the certified copy of the bills and payment receipts of the item claimed for subsidy along with C.A. Certificate)

DECLARATION :- I/We hereby solemnly declare and affirm that the particulars/statement furnished above are true to the best of my/our knowledge and belief and if any statement made herewith in connection with this claim is detected as false or misrepresented, the amount of CIS granted by the Government will be refunded by me/us to Government as per rules/terms and conditions laid down in the agreement made for this purpose. I/We also affirm to be abide by the rules and regulations enforce under this scheme.

Place :

Signature of the Applicant/
 Authorised Signatory

Date :

REPORT OF THE RECOMMENDING AUTHORITY

1. Name of the unit of Address : _____
2. Whether the unit is located in the : _____
specified area or a thrust sector industry
as specified in G.O.I. notification dated
07.08.2003 (Please specify)
3. (a) Whether new unit or substantial : _____
expansion unit
- (b) Whether the unit has taken : _____
effective steps for setting up of the
new unit/undertaking substantial
expansion prior or after 07.01.2003
- (c) In case of substantial expansion the : _____
percentage of increase in the value
of fixed Capital Investment in plant
& machinery
4. Type of unit (SSI, Large & Medium) and : _____
Registration No. thereof
5. CIS Registration No. & Date : _____
6. Name of the product : _____
manufactured/Activity
- (a) In case of New/Proposed unit : _____
- (b) In case of substantial expansion : _____
i) Prior expansion : _____
ii) After expansion : _____
7. Date of proposed/Actual commencement : _____
of production
- (a) Proposed : _____
- (b) Actual : _____
8. Whether the land is : _____
owned/lease/hold/rental
9. Name of the Financing Agency/Bank : _____
10. Present position of the unit (about : _____
installation of the machinery/ production/
sales, etc.)
11. Claims of by the unit and admissible : _____
subsidy

Particulars	Investment in Rs.		Subsidy Claimed	Subsidy Admissible in Rs.
	Proposed	Actual		

12. Recommendations of the : _____
D.I.C./Recommending Authority

Place :

Date :

Signature of the Recommending
Authority designation and seal

Certificate from the Registered Chartered Accountant
(For Proposed/New Unit)

Name of the Chartered Accountant : _____

I/We hereby certified that M/s. _____

(Name of the unit) has made the following capital investment on Plant & Machinery in their unit prior going into commercial production _____ at _____ for manufacturing of _____ by the industrial unit.

Sl. No.	Item	Value in Rupees
1.	Cost of Plant & Machinery (Enclose list of Plant & Machinery duly signed by the authorised signatory)	:
2.	Other Productive Equipment (Tools, Dies, Jigs)	:
3.	Insurance Premium	:
4.	Transportation Cost of the Plant & Machinery	:
5.	Other assests (Goods Carriers to the extent actually used for Transport of Raw Material and Finished Goods)	:
TOTAL		:

NOTE : The value of Plant & Machinery is to be calculated according to the instructions vide Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry (Deptt. of Industrial Policy & Promotion) Notification Dated 08.01.2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-1, Section-1.

We have checked the books of account of the invoices etc. and certified that the aforesaid information are verified and certified to be true. We also certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is arisen there against in the books of the unit.

Place :

Signature of the Chartered Accountant

Date :

Registration No.

[This certificate may not be produced in case of the unit where the investment in plant & machinery is upto Rs. 1.00 Laks]

Certificate from the Registered Chartered Accountant
[for existing unit undergoing expansion/diversification]

Name of the Chartered Accountant : _____

I/We hereby certified that M/s. _____ (Name of the unit) has made the following capital investment on Plant & Machinery in their unit at _____ (location of the unit) for expansion from _____ to _____. The unit is engaged in production of _____ and gone into commercial production after expansion/diversification on _____.

Sl. No.	Item	Investment Prior expansion (Gross) Value in Rs.	Additional Investment made for expansion value in Rs.	Total Capitals Investment Value in Rs.
1.	Cost of Plant & Machinery(Enclose list of Plant & Machinery duly signed by the authorised signatory)			
2.	Other Productive Equipment Tools, Dies, Jigs)			
3.	Insurance Premium			
4.	Transportation Cost of the Plant & Machinery			
5.	Other assests (Goods Carriers to the extent actually used for Transport of Raw Material and Finished Goods)			
	TOTAL			

NOTE : The value of Plant & Machinery is to be calculated according to the instructions vide Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry (Deptt. of Industrial Policy & Promotion) Notification Dated 08.01.2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-1, Section-1.

We have checked the books of account of the invoices etc. and certified that the aforesaid information are verified and certified to be true. We also certify that all the aforesaid items have been duly paid for and no credit is arisen there against in the books of the unit.

Place :

Signature of the Chartered Accountant

Date :

Accountant
Registration No.

[This certificate may not be produced in case of the unit where the investment in plant & machinery is upto Rs. 1.00 Laks]

Bank/Financial Institution Certificate

Certified that _____
have been disbursed as on this date the amount to Rs. _____
sanctioned under Letter No. _____ Dated _____
as shown below.

1.	Loan Amount previously disbursed upto	
2.	Total Amount disbursed upto date against the item (s) mentioned below :-	
	i) Land	
	ii) Building (excluding residential quarters)	
	iii) Plant & Machinery	
	iv) Others assets : Tools, Jigs, Dies and moulds and good carriers.	
	TOTAL	

Signature of a responsible officer of the
Bank/Financial Institution

Seal & Date

AFFIDAVIT

I Sri/Smt. _____ S/o or D/o Sri/ _____
aged _____ year by
profession _____ do hereby solemnly declare and
affirm follows :-

1. The I am a citizen of India and permanet residence of Village
_____ P.O. _____ in the District
of _____ Uttaranchal.
2. That I am Proprietor/Managing Partner/Managing Director of M/s.
_____ and owners of land/building/plant &
machinery of the above unit which industrial activity on
_____.
3. That the particulars furnished in the claim application for the
subsidy under the afforsaid scheme are/or will exactly that same as
those submitted to the income Tax authorities in respect of industrial
unit known as M/s. _____ situated at
village _____ of the district
_____. That no subsidy grant under State
Government/Central Government/Organisation etc. have been
availed by me/us on the items mentioned in the claim application
form.
4. That the particulars furnished in the application form and/or in
connection with the application for subsidy are correct and true to be
best of my knowledge and that in case of any particulars are found
to be false or to be misrepresentation of essential fact. I shall be
liable to punish under law of the land.
5. That, I Sri/Smt. _____ the
deponent of above do hereby solemnly declare and affirm that
statement made above are true to the best of my knowledge, belief
and information in taken thereof.
Identified by me.

Signature
(Advocate)

Signature
(Deponent)

Solemnly affirm before me by Sri _____

S/o Sri _____ being identified by _____

Advocate on this day.

MAGISTRATE
(Seal)

Certified/Attested photocopies of the documents to be submitted along
with the application form for claiming CIS

1. Constitution of the Unit :
 - a) In case of partnership unit, registered deed of partnership with general power of attorney.
 - b) In case of private limited/public limited company.
 - i) Registration Certificate under the companies Act.
 - ii) Memorandum and Article of Association.
 - iii) List of Board of Directors.
 - c) In case of Co-Operative Society.
 - i) Resolution of the General Body for Registration of the unit under SSI, if any.
 - ii) Registration Certificate
 - iii) Memorandum and Article of Association.
2. Registration Certificate from the district industries centre (Provisional & Permanent) and LI/IL/IEM/ etc., if any.
3. Land & Building :
 - a) In case of government land allotted by government : Allotment letter, Trace map and receipt on the premium paid to the government for the allotment.
 - b) In case of lease hold from a private owner : Lease Deed Agreement along with general power of attorney and trace map.
 - c) In case of ownland :
 - i) Purchase deed.
 - ii) Upto date non-incumbent certificate
 - iii) Jamabandi copy and trace map
 - d) In case of Government land allotted by any Government agency :
 - i) Allotment letter and trace map
 - ii) Deed of Agreement
 - e) In case Industrial shed allotment by any Government agency:
 - i) Allotment letter.
 - ii) Deed of Agreement
4. Sanction letter from the Financial Institution/banks for Term Loan & working capital loan.
5. Power :
 - i) Power Sanction Letter
 - ii) First bill of SEB/POWER CORPORATION.
6. All bills, vouchers & money receipts on plant & machinery.

7. List of plant & machinery indicating name of the suppliers & its value and date of installation duly signed by the authorised signatory.
8. Certificate from a Chartered Accountant for plant & machinery as prescribed.
9. Project Report/Scheme of the unit approved by the Bank/Financial Institution/Concerned DIC, as the case may be.
10. List of employees indicating category, status & their wages.
11. Source of own finance/equity with supporting documents.
12. No objection certificate from the local bodies/authority and trade licences, if any.
13. NOC from the DIC/State Pollution Control Board.
14. Affidavit as per prescribed format.
15. Certificate from Bank/Financial Institution in support of Financial assistance as per format.
16. Any other documents/information, if required.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2000

सं. 11(1)/2000-डी0बी0ए0 -प्, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्रालय के समय-समय पर तथा-संशोधित दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. 6/26/71-आई0सी0 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

1. "प्रारंभ तथा अवधि" शीर्षक के तहत पैरा-2 में मौजूदा पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

"इस योजना को जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिये 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2007 तक के लिये और बढ़ाया जाता है।"

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

Transport Subsidy Scheme :

Published in Part I, Section I of the Gazette of India Extra-ordinary dated 27.07.1971 (No. 102) vide Notification No. F. 6(26) / 71-IC dated 23.07.1971 and amended vide Notification No. 6(26)/71-IC dated 28.02.1974 published in the Part I, Section I of the Gazette of India Extra-ordinary dated 28.02.1974 (No. 103) and Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978 Notification No. 11/1/90-DBA.II dt. 28.07.1993 & 29.09.1995 and No. 11(1)/98-DBA.II dated 29.01.1998.

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1971

No. 6(26)/71-IC- The Government of India are pleased to make the following scheme for grant of subsidy on the transport of raw materials and finished goods to and from certain selected areas with a view to promoting growth of industries there :-

1. **Short Title :-** This Scheme may be called the Transport Subsidy Scheme, 1971.
2. **@ Commencement and Duration :-** It comes into effect from 15.07.1991, for selected areas (A), with effect from 24.08.1973 for selected areas (B), with effect from 1.12.1976 for selected areas (C) and with effect from 5.12.1977 for selected areas (D) and will remain in operation till 31.03.2007.
3. **@** It is applicable to all industrial units (barring plantations, refineries and power generating units) both in the public and the private sectors, irrespective of their size in the selected areas (A), (B), (C) and (D).
4. **Definitions :-**
 - (a) 'Industrial Unit' means an industrial unit where a manufacturing programme is carried on.
 - (b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit which has set up manufacturing capacity and come into production on or after the date of commencement of the Scheme.
 - (c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit which has set up manufacturing capacity and came into production before the date of commencement of the Scheme.
 - (d) 'Substantial expansion' means increase in production of an industrial unit by 25 percent or more of the licenced or approved capacity.
 - (e) 'Diversification' means manufacture of new article or articles by an industrial units by 25 percent or more (by value) of the approved or licensed capacity of the article or articles already manufactured by it during the preceding year.
@ Amended vide Notification No. 11(1)/95-DBA. II Dated 28.07.93 dated 29.09.1995 and No. 11(1)/98-DBA.II dated 29.01.1998.
 - (f) ** The Selected Areas (A) means the State of Jammu & Kashmir and the North-Eastern Region comprising the States of Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram, The Selected Areas (B) means the State of Himachal Pradesh and Hilly areas of Uttar Pradesh State comprising the districts of Dehradun, Nainital, Almora, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Pithorgarh, Uttarkashi and Chamoli the Selected Areas (C) means the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep and the Selected Areas (D) means the State of Sikkim.
 - (g) %
 - (h) 'Raw Material' means any raw material actually required and used by an industrial unit in its manufacturing programme as approved by the

Government of India and/or by the Government of State/Union Territory in which the industrial unit is located.

- i) 'Finished Goods' means the goods actually produced by an industrial unit in accordance with the manufacturing programme approved by the Government of India and/or the Government of State/Union Territory in which the industrial unit is located.

5. %

6. **Details of the Scheme :-**

- i) A transport subsidy will be given to the industrial units located in the selected areas in respect of raw materials which are brought into and finished goods which are taken out of such areas.

- ii) @ Industrial units will not be eligible for the transport subsidy for internal movement of raw materials and finished goods within the State of Jammu & Kashmir, the North Eastern Region, the State of Himachal Pradesh, the hilly areas of Uttar Pradesh, the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep and the State of Sikkim.

- iii) @ In the case of Jammu & Kashmir, transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit and rail head of Jammu or Pathankot, whichever is nearer. In the case of Himachal Pradesh, the transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit in the States and the nearest rail-head viz. (i) Pathankot, (ii) Kiratpur Sahib, (iii) Nangal, (iv) Kalka, (v) Ghanauli, (vi) Yamuna Nagar, (vii) Barara & (viii) Hoshiarpur

In the case of hilly areas of Uttar Pradesh State, the transport subsidy will be given on the transport costs between the location of the industrial unit and the nearest rail-head viz., (i) Dehradun, (ii) Rishikesh, (iii) Moradabad, (iv) Bareilly, (v) Kotdwara, (vi) Shahajhanpur & (vii) Rampur.

** Amended vide Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978.

@ Amended Vide Notfication No. F.6(26)/71-IC dated 28.02.1974 and No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978.

% Deleted vide Notification No. 6(26)/74-IC dated 28.02.1974.

- iv) *In the case of North-Eastern region comprising the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram the transport subsidy will be given on the transport costs between Siliguri and the location of the industrial unit in these States/Union Territories. While calculating the transport costs of raw materials the cost of movement by rail for Siliguri to the railway station nearest to the location of the Industrial unit will be taken into account. Similarly, while calculating the transprot costs of finished goods the costs of movement by road from the location of industrial unit to the nearest railway station and thereafter the cost of movement by rail to Siliguri will be taken into account. In the case of North- Eastern region, for raw materials moving entirely by road or other mode of transport in the Norht Eastern region, the transport costs will be limited to the amount which the industrial unit might have paid had the finished goods moved from the location of the industrial units to the nearest railway station by road and thereafter by rail to Siliguri.

- v) & In the case of Andaman & Nicobar Islands, the transport subsidy will be given on transport costs by sea and road between Madras Port and the

- location of the industrial unit in the Union Territory. In the case of Lakshadweep, the transport subsidy will be given on transport costs by sea and road between Cochin Port and the location of the industrial unit in the Union Territory. If any other port on the mainland is used for the purpose of transport subsidy, the transport costs will be taken at the industrial unit would have incurred had Madras or Cochin Port, as the case may be, been used, or the actual transport costs, whichever are less.
- vi) & In the case of Sikkim, the transport subsidy will be given on transport costs between the location of the industrial unit in the State and the rail head of Siliguri.
 - vii) + Freight charges for movement by road/sea will be determined on the basis of transport/transshipment rates fixed by the Central Government/State Government/Union Territory Administration concerned from time to time or the actual freight paid, whichever is less.
 - viii) \$ Cost of loading or unloading and other handlings charges such as from railway station to the site of the industrial unit will not be taken into account for the purpose of determining transport costs. & Inserted vide Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978. * Amended vide Notification No. F. 6(26)/71-IC dated 28.02.1974. + Renumbered and amended vide Notification No. 6/3/75-RD dated 19.07.1978. \$ Renumbered vide Notification No. 6/3/75-RDM dated 19.07.1978.
 - ix) \$ All new industrial units located in the selected areas will be eligible for transport subsidy equivalent to 50 percent of the transport costs of both raw materials as well as finished goods.
 - x) \$ Existing industrial units in the selected areas are also eligible for transport subsidy in respect of the additional transport costs of raw material and finished goods arising as a result of substantial expansion or diversification effect by them after the commencement of the Scheme. Transport Subsidy in such cases will be restricted to 50 percent of the transport costs of the additional raw materials required and finished goods produced as a result of the substantial expansion or diversification.
 - xi) + Transport Subsidy will also cover 50 percent of the transport charges for movement of steel from Gauhati stockyard of M/s. Hindustan Steel Ltd. to the site of the industrial units in the North-Eastern region and for movement of industrial raw materials from the State Corporation's depots situated in the hill districts of Uttar Pradesh to the sites of the industrial units located in the hill districts of the State.
 - xii) *\$ The State Govt./Union Territory Admn. will set up a Committee consisting of the Director of Industries, a representative each of the State Industries Department and the State Finance Deptt. etc. on which a representative of the Ministry of Industrial Development will also be nominated. The Committee will operate at the State/Union/Territory level and scrutinize and settle all claims of transport subsidy arising in the State/Union Territory. The claimants should be asked to provide proof of raw material, 'imported' into and finished goods 'exported' out of the selected State/Union/Territory/areas where the unit is situated from the registered Chartered Accountants. The committee may also lay down the production of any other documents which in their opinion is necessary to decide the eligibility of claimant for the transport subsidy.

However, in the case of small units with a capital investment of Rs. 1 lakh or less the requirement of production of certificate from Chartered Accountant may be waived. subject to the the condition that such claims are properly verified by the State Government authorities before the subsidy is sanctioned/disbursed. After having scrutinized and settled the claims, the amount disbursed to industrial unit should first be adjusted against the outstanding ways and means of advances made to the State Government/Union Territory Administration for Centrally Sponsored Scheme in accordance with the procedure outlined in the Ministry of Finance Letter No. 2(17)/PII/58 dated 12.05.1958 and the balance, if any, shall be paid in cash to the State Govt./Union Territory Administration.

Provided that in the case of small units with a Capital Investment of Rs. 1,00,000 and less, the requirement of production of proof of import of raw material and export of finished products from registered Chartered Accountant will be substituted by a appropriate verification by the State Govt. authorities.

- xiii) \$ In order to check any misuse of transport subsidy Directorate of Industries in the State/Union Territories will carry out periodical checks to ensure that the raw materials and the finished goods in respect of which transport subsidy has been given were actually used for the purpose by a system of scrutinising of consumption of the raw materials and the output of the finished goods.
\$ Renumbered vide Notification No. 6/3/75-RDM dated 19.07.1978.
- xiv) \$ Directorate of Industries of the State and Union Territories concerned will draw up procedures and arrangements not only for scrutinising the claims for transport subsidy but also arrange for prompt payment of the claims. The number of transport subsidy claims that may be preferred by an industrial unit should not ordinarily exceed one in a quarter. However, the Director of Industries may at his discretion entertain more number of claims in a financial year, if the financial position of the industrial unit so warrants.
- xv) \$ Directorates of Industries of the States and Union Territories concerned will lay down a system of pre-registration of the industrial units which are eligible for transport subsidy. At the time of registration the Directorate of Industries will fix and indicate the capacity of such units. They will also lay down procedure to ensure regular inflow of information regarding the movement of raw material and finished goods to and from the industrial units. The Directorate of Industries of the States and Union Territories should also lay down that statistics of production and utilization of raw materials should be maintained and kept open for inspection on request by the Directorate of Industries.
- xvi) \$ The Ministry of Industrial Development will continuously review the arrangements made by the Directorate of Industries of the concerned States and Union Territories and suggest modifications in the procedure for scrutinizing the claim, payment of transport subsidy etc.
- xvii) \$ Notwithstanding the provisions of the Scheme Government of India and/or the Govt. State/Union Territory concerned have full discretion to refused to entertain or reject any claim for transport subsidy.

xviii) \$ Any false statement made deliberately by an industrial unit or any misrepresentation of facts by it will disqualify it from the grant of transport subsidy for such period of time as the Government of India and/or the Government of State/Union Territory concerned may decide after giving a reasonable opportunity to the industrial unit to state its case.

\$ Renumbered vide Notification No. 6/3/75-RDM dated. 19.07.1978.

संख्या : 2689/औ0 वि0-1/2001/242 उद्योग/2004

प्रेषक :

एस0 कृष्णन
सचिव, उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक उद्योग, देहरादून।

विषय: भारत सरकार की योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन उपादान तथा राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष परिवहन उपादान योजना नियमावली में दावों के सत्यापन की प्रक्रिया का सरलीकरण

दिनांक : 29 दिसम्बर, 2001

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं. 2010(11)/18-13-90 दिनांक 24, अगस्त 1990 तथा अनुवर्ती शासनादेश सं. 1136/77-6-2000-49 (एम)/88 दिनांक 1, अगस्त, 2000 एवं शासनादेश सं. 1153/77-6-2000-49(एस)/88 दिनांक 12.09.2000 में संशोधन करते हुये परिवहन उपादान योजना के अंतर्गत दाखिल किए गये दावों के निष्पादन तथा सत्यापन की प्रक्रिया का सरलीकरण एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता है।

1. उद्योग कार्यरत होने चाहिए।
2. उद्योग की स्थापित क्षमता की पुष्टि वित्तीय संस्थाओं या प्लान्ट सप्लायर से होनी चाहिए।
3. उद्योग द्वारा क्रय किए गये कच्चे माल एवं उत्पादित माल की बिक्री की पुष्टि अन्तरिम तौर पर व्यापार कर में दाखिल मासिक/त्रैमासिक रिटर्न के आधार पर कर ली जाये। इसके आधार पर भुगतान करने के पश्चात अन्तिम सत्यापन कर विभाग के कर निर्धारण आदेश के आधार पर किया जाये। यदि इन दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो कर निर्धारण के आँकड़ों को प्रमाणित माना जाये।
4. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के संदर्भ में एवं उद्योग द्वारा परिवहन पर किए गये व्यय, को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र से सत्यापित कराया जाये।
5. उद्योगियों द्वारा अपना कच्चा माल एवं तैयार माल रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा ही बुक कराया जाय। रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का परिवहन विभाग में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। यदि ट्रान्सपोर्ट कम्पनी साझेदारी फर्म हो या अन्य किसी शासकीय मान्यता प्राप्त एजेन्सी के साथ पंजीकृत है तो भी उसे रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का दर्जा प्राप्त होगा एवं उपादान के मामलों में ऐसी कम्पनी के द्वारा की गयी ढुलाई को मान्यता प्रदान की जाएगी।
6. माल की बिल्टी की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ प्रस्तुत की जाय।
7. उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संदर्भ में उद्योगी से शपथपत्र लिया जाय, जिसके असत्य पाए जाने पर एकमुश्त वसूली की जाएगी जिस पर 24 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी देना होगा।
8. यह शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी होगा तथा पूर्व में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0 प्र0 द्वारा इस संबंध में जारी किए गये निम्नलिखित शासनादेश एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं:-
 - (अ) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर का पत्रांक 854/63 दिनांक 01.09.1986
 - (ब) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर का पत्रांक 886-93 दिनांक 28.08.87
 - (स) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर (पूर्व अनुभाग-15) का पत्रांक 526-33 दिनांक 03.07.89
 - (द) उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 पर्वतीय अनुभाग-15 के पत्रांक 853-86 दिनांक 03.08.93
 - (य) औद्योगिक विकास विभाग-6, संख्या 1136/77-6-2000-49 (एम)/88 दिनांक 01.08.2000
 - (र) औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6 संख्या 1153/77-6-2000-49 (एम)/88 दिनांक 12.09.2000

भवदीय,

एस0 कृष्णन,
सचिव।

**APPLICATION FOR REGISTRATION OF INDUSTRIAL UNIT FOR 75%
TRANSPORT SUBSIDY**

(TO BE SUBMITTED IN DUPLICATE)

1. Name & Address of the Unit
2. Name & Address of the Proprietor/ Director/ Partners
3. Registration/Licence No. of the unit with date & issuing authority
4. Whether New unit/Expansion of existing unit
5. Ownership/Partnership/Co-operative or Private Public Ltd. Propreitory etc.
6. Partnership Deed (A certified true copy to be enclosed)
7. Date on which the unit has gone into production or process to go into production.
8. Investment made for the Industrial Unit for
 - (a) Land
 - (b) Building
 - (c) Plant & Machinery
9. Production capacity and requirement of Raw-Materials as per Licence Registration etc. (per annum)

PRODUCTION PER ANNUM QUANTITY VALUE

- (a) Name of the Items
- (b) Name of the materials (List enclosed)
- (c) Source/Sources from which Raw-materials are obtained
- (d) Place where finished product are sold despatched

(The figures given above are projected figure of 100% capacity. Actual production yet to begin)

10. In case of existing unit taking up substantial expansion or diversification after the commencement of this scheme
 - (a) Consumption of raw materials & production of finished products during the year preceeding of expansions or diversification.
 - (b) Raw material consumed
 - (i) Finished goods Manufactured
 - (ii) Raw-material purchased from outside to the Nearest Rail Head.
 - (iii) Finished products sold to place outside from Nearest Rail Head
 - (c) Details of expansion undertake
 - (i) Additional Capital Investments (For Plant & Machinery, Factory, Building, Land etc.)
 - (ii) Employment

- (d) Capacity increased due to expansion
(p/a)
Production (i) Item
(ii) Quantity
(iii) Value
- (e) Requirement of Raw-Materials for
expansion
Capacity (i) Item
(ii) Quantity
(iii) Value

Signature of the Applicant with Address

CERTIFICATE

Certified that I have personally visited the unit and examined the documents available and presented to me and found correct the information furnished in this application against items (mentioned items Nos.)

Certified that in absence of proper information/documents the information furnished in this application property.

Signature
Assistant Manager/Manager/General Manager,
DIC

**GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE**

No./TSR/

Dated

To,

M/s. _____

Sub : Registration under Transport Subsidy Scheme

Sir,

With reference to your application dated _____ this office has recorded your application for registration under Central Transport Subsidy Scheme and has given the Transport Subsidy Registration as follows :-

No.

DIC	TSR
------------	------------

Dated

--	--	--

This number is to be quoted in all Transport Subsidy Claim.

General Manager,
District Industries Centre

संख्या:- 1040/औ0वि0/ब्या0प्रो0सहा0-सात/ 2004-169 उद्योग

विषय : लघु उद्योगों हेतु ब्याज प्रोत्साहन सहायता

दिनांक : 24 मई, 2004

महोदय,

प्रदेश की औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले नई लघु औद्योगिक इकाईयों, पर्याप्त विस्तार/विविधिकरण करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों तथा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए प्राविधानित ब्याज प्रोत्साहन सहायता से सम्बन्धित "ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली, 2003" तथा आवेदन पत्रों के प्रपत्र अनुमोदन उपरान्त संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया उक्त योजना का समुचित प्रचार प्रसार कर राज्य के औद्योगिक नीति के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

भवनिष्ठ

संजीव चोपड़ा,

सचिव।

संख्या:- 1040/औ0वि0/ब्या0प्रो0सहा0-सात/69-उद्योग/2004

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन

अधिसूचना

देहरादून : दिनांक : 24 मई, 2004

राज्य शासन एतद्वारा दिनांक जुलाई 2003 से "उत्तरांचल राज्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना, 2003" नियमानुसार लागू करता है।

1. **संक्षिप्त नाम:-** यह नियमावली ब्याज प्रोत्साहन योजना, 2003 कहलायेगी।
2. **योजना का प्रारम्भ और अवधि:-** यह योजना 1 जुलाई, 2003 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2008 तक प्रवृत्त रहेगी।
3. **परिभाषा:-** इस योजना के सम्बन्ध में नयी लघु औद्योगिक इकाई, पर्याप्त विस्तार की लघु औद्योगिक इकाई तथा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई, सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी आदि की परिभाषाएं वही होगी, जो विकास आयुक्त (लघु स्तरीय उद्योग) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित तथा विज्ञापित की गयी हैं।
4. **पात्रता:-**
 - (क) प्रदेश में स्थापित होने वाली नई लघु औद्योगिक इकाईयाँ इस योजना के अन्तर्गत ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी। साथ ही प्रदेश में स्थापित ऐसी इकाईयाँ, जिन्होंने अपने आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण एवं विविधिकरण हेतु वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लिया हो, उपादान की पात्र होगी।

- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वित्त पोषक संस्था/बैंक द्वारा अभिज्ञापित/घोषित ऐसी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयाँ, जिनका पुर्नवासन प्रस्ताव सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक से अनुमोदित हो।
- (ग) इकाई उद्योग विभाग में लघु उद्योग के रूप में अस्थाई अथवा स्थाई रूप से पंजीकृत हो।
- (घ) इकाई किसी सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो।
- (ङ) यह सहायता योजना प्रभावी होने के दिनांक अर्थात् दिनांक 1 जुलाई, 2003 के उपरान्त वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों को ही प्राप्त होगी।
- (च) ब्याज उपादान केवल उन्ही उद्योगों को अनुमन्य होग, जिनके द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज उपादान की सुविधा प्राप्त न की गई हो। अन्य शासकीय विभागों से सुविधा प्राप्त करने की दशा में इकाई द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक धनराशि तथा देय धनराशि के अन्तर के बराबर अवशेष धनराशि का आंकलन कर अनुमन्य राशि का निर्धारण किया जायेगा। विशेष रूप से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग के माध्यम से स्थापित इकाईयों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, क्योंकि उन इकाईयों के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की योजना पृथक से लागू है।
- (छ) ब्याज प्रोत्साहन सहायता केवल उन्हीं इकाईयों को उपलब्ध होगी, जो प्रोत्साहन सहायता की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम 3 वर्षों तक कार्यरत रहेगी, अन्यथा शासन को यह अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर ले।
- (ज) यह प्रोत्साहन सहायता नये लघु उद्योगों को तथा वर्तमान में कार्यरत लघु इकाईयों को उनके आधुनिकीकरण एवं पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु तभी उपलब्ध होगी, जबकि उन्होंने राज्य वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिया हो तथा मूलधन व ब्याज के भुगतान में किसी प्रकार की चूक न की हो।
- (झ) ब्याज प्रोत्साहन सहायता औद्योगिक इकाई को अधिकतम 5 वर्ष अथवा योजना की अवधि तक ही देय होगी।

5. स्वीकार्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता की सीमा:-

- (क) लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की ब्याज दर में तीन प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान अनुमन्य होगा, किन्तु उपादान की अधिकतम सीमा रू० 2 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी। दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु यह सहायता लिये गये ऋण की ब्याज की दर से 5 प्रतिशत की दर से दी जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू० 3 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी। दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाईयों से है, जो

राज्य में समुद्र तल से 3000 फिट या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थापित हों।

- (ख) ब्याज प्रोत्साहन सहायता की राशि प्रत्येक वर्ष में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा चार्ज किये गये मूल ब्याज दर पर उपरोक्त प्रस्तर-(क) के प्राविधानानुसार बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किये गये क्लेम के आधार पर आंगणित की जायेगी किन्तु प्रत्येक दशा में प्रत्येक इकाई के लिए ब्याज प्रोत्साहन सहायता की राशि उक्त प्रस्तर-5(क) में दी गई प्रोत्साहन सहायता सीमा से अधिक नहीं होगी।
- (ग) ब्याज प्रोत्साहन सहायता केवल मूल ब्याज दर के विरुद्ध देय होगी अर्थात् विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय पर सहायता प्राप्त नहीं होगी।

6. **ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-**

- (क) पात्र लघु औद्योगिक इकाई की वित्तीय संस्था/बैंक, वित्तीय ऋण पर प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप उपरोक्त प्रस्तर-4(क) व (ख) के प्राविधानानुसार ब्याज प्रोत्साहन सहायता की धनराशि का आंगणन कर निर्धारित प्रारूप पर क्लेम इकाई के आवेदन पत्र सहित अपने जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।
- (ख) उक्त योजना के तहत ब्याज प्रोत्साहन सहायता के लिए पात्र लघु औद्योगिक इकाईयों को नये एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों के विस्तारीकरण/विविधिकरण/पुर्नजीवीकरण के लिए वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था को ऋण के लिए आवेदन पत्र देने के साथ ही अपने को अपने जिले के जिला उद्योग केन्द्र में योजनानर्गत पंजीकृत कराना होगा और सभी वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस पंजीकरण में लिये जाने वाले ऋण, बैंक/वित्तीय संस्था का नाम भी देना होगा।

7. **ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति:-**

- (क) प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नवत् गठित प्राधिकृत समिति ही सक्षम होगी।

1. जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
2. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी	—	सदस्य
3. सम्बन्धित वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था	—	सदस्य
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	—	सदस्य सचिव

- (ख) पात्र औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन सहायता की अग्रिम स्वीकृति प्रत्येक वर्ष बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तुत प्रारम्भिक आंकलन/क्लेम के आधार पर प्राधिकृत समिति द्वारा जारी कर उसकी

स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित वित्त पोषक वित्तीय संस्था/बैंक को दी जायेगी तथा यह स्वीकृति जारी होने के उपरान्त औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत सहायता धनराशि बजट आवंटन उपलब्ध होने पर उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था अग्रिम के रूप में प्राप्त इस राशि में से त्रैमासिक आधार पर ऋणी के प्रस्तुत एवं स्वीकृत क्लेम की धनराशि को ऋणी के खाते में जमा करेगे तथा यदि वर्ष के अन्त में बैंक/वित्तीय संस्था को अग्रिम के रूप में दी गई राशि में से त्रैमासिक रूप से स्वीकृत क्लेम की धनराशि ऋणी के खाते में जमा कराने के उपरान्त बच जाती है, तो इस धनराशि को सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था इकाई के अगले वर्ष के त्रैमासिक क्लेम की राशि के समायोजन में करेंगे।

- (ग) ब्याज प्रोत्साहन सहायता की अग्रिम स्वीकृति मिलने के उपरान्त प्रोत्साहन सहायता के क्लेम इकाई द्वारा अपनी वित्त पोषक वित्तीय संस्था/बैंक के माध्यम से ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होन के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।
- (घ) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत क्लेम का परीक्षण कर क्लेम ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली के अनुसार होने पर निर्धारित प्रारूप में देय ब्याज प्रोत्साहन सहायता धनराशि का उल्लेख करते हुए स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा तदुपरान्त सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को अग्रिम के रूप में अवमुक्त धनराशि में से उक्त स्वीकृत राशि को बैंक/वित्तीय संस्था ऋणी के खाते में जमा करेगी।

8. **ब्याज प्रोत्साहन सहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया:-**

- (क) ब्याज प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति के उपरान्त बजट आवंटन उपलब्ध होने पर उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र क्लेम की राशि सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को अवमुक्त करेगा तथा किसी भी दशा में यह प्रोत्साहन सहायता की राशि औद्योगिक इकाई को नगद में नहीं दी जायेगी।
- (ख) ब्याज प्रोत्साहन सहायता का प्रथम क्लेम नई लघु औद्योगिक इकाई/विस्तार करने वाली इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के दिनांक से छः माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुए विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

- (ग) ब्याज प्रोत्साहन की धनराशि इकाई की वित्त पोषक संस्था/बैंक को वितरित हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि इकाई तथा बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से सहायता प्राप्त की गई है, तो ब्याज प्रोत्साहन की राशि एक मुश्त वसूली योग्य हो जायेगी, जिसकी वसूली सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था तथा इकाई या दोनों से की जा सकेगी। यह राशि इकाई तथा बैंक/वित्तीय संस्था से भू-राजस्व वसूली के अनुसार वसूल की जा सकेगी तथा दोषी पाये जाने पर इकाई को सहायता से वंचित कर दिया जायेगा।
- (ग) प्रोत्साहन सहायता अवमुक्त करने से पूर्व जिला उद्योग केन्द्र तथा औद्योगिक एकक के बीच इस आशय का अनुबन्ध/करार किया जायेगा कि इकाई सहायता की अन्तिम किश्त मिलने की तिथि के बाद कम से कम तीन वर्षों तक कार्यरत रहेगी।

9. योजना का क्रियान्वयन:-

- (क) ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण जिला स्तर पर सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा।
- (ख) योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग, उत्तरांचल सक्षम होंगे।

उत्तरांचल के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

स्वीकृति का प्रपत्र
कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

.....

.....

महोदय,

मैसर्स.....

जो.....(ऋणदाता बैंक का नाम) द्वारा
वित्त पोषित है, को बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उद्योग स्थापनार्थ वितरित ऋण पर जिला
प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांकमें दिनांक
से दिनांक तक के दावे की धनराशि रू0.....
(शब्दों में रूपया)
की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भवदीय,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन-पत्र

1. इकाई का पता :
 (क) कार्यशाला :
 (ख) कार्यालय :
 (ग) इकाई की अवस्थिति-सामान्य क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र :
 (समुद्र तल से 3000 फिट से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र)
2. लघु उद्योग स्थाई पंजीकरण संख्या व दिनांक :
3. इकाई का संगठन :
4. इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशकों के नाम पते :
5. आवेदक का नाम व पता :
6. उत्पादित वस्तु/वस्तुओं का नाम एवं उत्पादन क्षमता :
7. परियोजना की लागत (इकाई की विस्तृत परियोजना संलग्न है) :
 (क) भूमि :
 (ख) भवन/कार्यशाला :
 (ग) मशीनरी एवं उपकरण :
 (घ) कार्यशील पूंजी :
8. योजना की वित्तीय व्यवस्था :
 (क) उद्यमी का अंशदान :
 (ख) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण :
 1. साविधि ऋण :
 2. कार्यशील पूंजी ऋण :
9. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम, जहां से ऋण स्वीकृत/वितरित किया गया हो :
10. (क) स्वीकृत ऋण :
 1. साविधि ऋण :
 2. कार्यशील पूंजी :
 (ख) वितरित ऋण :
 1. साविधि ऋण :
 2. कार्यशील पूंजी :
 (ग) स्वीकृत/वितरित ऋण पर ब्याज दर
11. अन्य विवरण

ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

महोदय,

मैं 0को ब्याज

उपादान अनुमन्य कराये जाने विषयक आपके पत्र सं.दिनांक.....

..... के क्रम में अवगत कराना है, कि इकाई को.....उद्योग स्थापनार्थ वितरित प्रोत्साहन सहायता का दावा निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत है:-

1. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि
(क) सावधि ऋण
(ख) कार्यशील पूंजी ऋण योग
2. ऋण स्वीकृत करने का दिनांक
3. ऋण वितरित करने का दिनांक
4. ब्याज की दर
(क) सावधि ऋण
(ख) कार्यशील पूंजी ऋण
5. ऋण/ब्याज की वापसी का कार्यक्रम
6. ऋण/ब्याज की वापसी कार्यक्रम के अनुसार ऋण/ब्याज अदायगी की स्थिति
7. इकाई का खाता संख्या
8. देयक का विवरण

दिनांक..... से तक (छ: माही आधार पर)

ऋण धनराशि			ब्याज की धनराशि			उद्यमी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	ब्याज प्रोत्साहन सहायता की धनराशि 3 प्रतिशत की दर से	
विवरण	मूल वितरित धनराशि	बकाया	अवधि	दर	धनराशि			
सावधि ऋण								
कार्यशील पूंजी								
योग								
9.	इकाई की अवस्थिति : सामान्य क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र(समुद्र तल से 3000 फिट से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र)					:		

उक्त देयक के अनुसार दिनांक..... से दिनांक..... तक आगणित ब्याज पर ब्याज उपादान की धनराशि रु0(शब्दों में रूपया.....) का भुगतान करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

मुहर

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति-2003 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई लघु औद्योगिक इकाइयों, पर्याप्त विस्तार/विविधिकरण करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों तथा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के लिये प्राविधानित ब्याज प्रोत्साहन सहायता से सम्बन्धित "उत्तरांचल राज्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली, 2003" में ब्याज प्रोत्साहन सहायता की सीमा दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित लघु औद्योगिक इकाइयों के लिये ऋण की ब्याज दर में 5 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति इकाई निर्धारित की गई है। औद्योगिक नीति के अनुसार दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाइयों से है, जो राज्य में समुद्र तल से 3000 फिट या उससे अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थापित हों। प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे हैं, जिनका सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय विषम परिस्थितियों का है, किन्तु उनमें अवस्थित कुछ क्षेत्र 3000 फिट से कम ऊँचाई पर हैं। अतः पर्वतीय भू-भाग के समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को एक समान सहायता उपलब्ध कराने तथा दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति को दूर किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकार्यता सीमा के सम्बन्ध में दूरस्थ क्षेत्रों का निम्नवत् निर्धारण कर ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. राज्य के जनपद, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा तथा टिहरी का समस्त भू-भाग पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। अतः इन जनपदों में यदि कोई स्थान 3000 फिट से कम ऊँचाई पर भी अवस्थित हों, तो सम्पूर्ण जनपद के सभी विकास खण्डों को दूरस्थ क्षेत्र के रूप में इकाई मानते हुये 5 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।
2. राज्य के हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर जनपद के सभी विकास खण्डों का भू-भाग मैदानी है तथा यह विकास खण्ड 3000 फिट से कम ऊँचाई पर अवस्थित हैं। अतः इन जनपदों में ब्याज प्रोत्साहन सहायता 3 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 2.00 लाख प्रतिवर्ष ही अनुमन्य होगी।
3. राज्य के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर विकास खण्ड, जनपद पौड़ी के दुगड़डा विकास खण्ड के कोटद्वार व सिगड़डी क्षेत्र, देहरादून के डोईवाला, रायपुर, विकासनगर व सहसपुर (मसूरी को छोड़कर) विकास खण्ड तथा जनपद चम्पावत का टनकपुर विकास खण्ड 3000 फिट से कम ऊँचाई पर अवस्थित होने के साथ-साथ इनका अधिकांश भू-भाग मैदानी है। अतः जनपद नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर, जनपद पौड़ी के दुगड़डा जनपद देहरादून के डोईवाला, रायपुर, विकासनगर व सहसपुर तथा जनपद चम्पावत के टनकपुर विकास खण्डों में 3 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 2.00 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी, किन्तु इस विकास खण्डों में जो स्थान 3000 फिट से अधिक ऊँचाई के हो, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र दिये जाने पर 5 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 3.00 लाख ब्याज प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी। उक्त विकास खण्डों को छोड़कर इन जनपदों के अन्य विकास खण्डों में, जिनका भू-भाग पर्वतीय एवं दूरस्थ है, विकास खण्ड को इकाई मानकर 5 प्रतिशत की दर से किन्तु अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी।

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

संख्या:- 476/औ0वि0/ब्या0प्रो0सहा0-सात/69-उद्योग/2004

उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग

दिनांक : देहरादून अगस्त 04, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1040/औ0वि0/ब्या0प्रो0सहा0-7/69/2004, दिनांक 24 मई, 2004 से प्राख्यापित "उत्तरांचल राज्य ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना, 2004" नियमावली के प्रस्तर-4 (घ) के अन्तर्गत पात्रता की सीमा के अधीन "इकाई किसी सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो" के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाने की एतद् द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

स्पष्टीकरण:- इस प्रयोजन के लिए इकाई किसी सार्वजनिक अथवा सहकारिता क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो, से अभिप्रेत है कि बैंक तथा वित्तीय संस्था राज्य में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ;छंजपवदंसप्रमक टंदाद्धए रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक की श्रेणी में रखे गये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ;बीमकनसमक टंदाद्धए सहकारी बैंक ;ब्व.वचमतंजपअम टंदाद्धए अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रही हो।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2003 से प्रभावशील होगी।

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन
(आई0एस0ओ0-9000 / 14000 हेतु सहायता)

1. प्रोत्साहन सहायता का नाम एवं उद्देश्य:-
यह वित्तीय प्रोत्साहन सहायता औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आई0एस0ओ0-9000 / आई0एस0ओ0-14000 प्रोत्साहन सहायता कहलायेगी।
योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता प्रबन्धन एवं पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना होगा।
2. सहायता का स्वरूप:-
प्रौद्योगिकी गुणवत्ता तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार हेतु प्रदेश में स्थापित कार्यरत उद्योगों को उनके द्वारा आई0एस0ओ0-9000 / 14000 प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 2 लाख प्रति इकाई प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी।
3. योजना हेतु पात्रता:-
 - (क) प्रोत्साहन सहायता की पात्रता के लिये औद्योगिक एकक का लघु एवं कुटीर उद्योग/लघु उद्योग/अनुपूरक उद्योग/लघु स्तरीय सेवा व्यवसाय इन्टरप्राइज के रूप में प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्र/खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से स्थाई लघु उद्योग पंजीयन अथवा भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग से बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में यथापरिभाषित आई0ई0एम0 / एल0ओ0आई0 प्राप्त करना आवश्यक है।
 - (ख) प्रोत्साहन सहायता हेतु वह सभी औद्योगिक इकाईयाँ पात्र होगी, जिनके द्वारा 24-6-2003 के बाद अपने उत्पाद की गुणवत्ता बृद्धि एवं पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार हेतु आई0एस0ओ0-9000 / 14000 प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो।
4. योजना की अवधि :
यह योजना दिनांक 24-6-2003 से प्रभावी होगी तथा 31-3-2008 तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि शासन द्वारा अन्यथा इससे पूर्व कोई अन्य निर्णय न लिया जाए। इस योजना के प्रारम्भ के साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में लागू पूर्व आई.एस.ओ.-9000 / 14000 योजना समाप्त हो जायेगी।
5. योजना की शर्तें एवं कार्यान्वयन का स्वरूप:-
 1. योजना उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल द्वारा संचालित की जायेगी। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र जनपदों की पात्र औद्योगिक इकाईयों के

आवेदन-पत्र वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों सहित निदेशालय को परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति के साथ अग्रसारित करेंगे।

2. सभी पात्र आवेदन पत्रों के प्रतिपूर्ति दावों पर राज्य स्तर पर गठित निम्न समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल अध्यक्ष
2. अपर निदेशक उद्योग सदस्य
3. संयुक्त निदेशक उद्योग सदस्य
4. कोआर्डिनेटर, स्टेप, आई.आई.टी, रूड़की अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो न्यूनतम सहायक प्रोफेसर स्तर का हो।

सदस्य (विशेष आमंत्रित)

5. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल या उनका प्रतिनिधि सदस्य

3. प्रमाणीकरण प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र एवं अपेक्षित प्रमाण पत्र निर्धारित अनुलग्नक-1 व 2 प्रारूप पर प्रस्तुत किया जायेगा।

5. भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था अथवा अन्य स्रोतों से इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त किये जाने/न किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मूल्य रू0 100/- के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र निर्धारित अनुलग्नक-3 के अनुरूप प्रस्तुत किया जायेगा। यदि अन्य संसाधनों से इस प्रयोजन हेतु किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की गई हो, तो उपरोक्त अधिकतम सीमा तक अवशेष सहायता स्वीकृत की जा सकेगी, किन्तु इस हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त प्रोत्साहन सहायता की धनराशि इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।

6. योजना में शासन द्वारा समय-समय पर संशोधन अथवा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जा सकते हैं।

7. योजना के सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु पर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

आई0एस0ओ0-9000 / 14000 प्रमाणीकरण प्रोत्साहन हेतु आवेदन-पत्र

1. इकाई का पता :
 - (क) कार्यशाला :
 - (ख) कार्यालय :
 - (ग) दूरभाष सं. :
 (यदि प्रो0 उद्यमी अनु0जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उल्लेख करें)
2. लघु उद्योग स्थाई पंजीकरण/आई.ई. एम./एल.ओ.आई. संख्या एवं तिथि (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
3. उत्पाद का विवरण, जो पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित हैं:-
4.
 1. इकाई का पूंजी विनियोजन (लाख रू0 में) भूमि/भवन:-
प्लाण्ट/मशीनरी:-
 2. अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता:- मात्रा:-
मूल्य (लाख रू0 में):-
 3. सृजित रोजगार संख्या:-
5. आई.एस.ओ.-9000 / 14000 प्रमाणीकरण संख्या एवं दिनांक:-
6. प्रमाणीकरण के लिये अधिकृत संस्था का नाम व पता, नम्बर तथा प्रतीक चिन्ह:-
(प्रमाणीकरण करने वाली संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें। प्रमाण पत्र में प्रमाणीकृत स्थल का पता, प्रमाणीकृत कार्यक्षेत्र, प्रमाण पत्र संख्या, तिथि एवं वैधता अवधि अंकित हो)
7. आई.एस.ओ.-9000 / 14000 क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने में व्यय की गई धनराशि का विवरण:-

क्र. सं.	उद्देश्य	प्रदान करने वाली संस्था का नाम	चालान संख्या दिनांक	चालान व धनराशि	चालान की प्राप्ति संख्या दिनांक	अभ्युक्ति व
1	2	3	4	5	6	7

1. प्रार्थना-पत्र शुल्क / प्रमाण -पत्र शुल्क ।
2. एसैसमेन्ट / परीक्षण शुल्क ।
3. वार्षिक शुल्क / लाईसेन्स शुल्क ।
4. प्रीसर्टिफिकेशन व्यय ।
5. सलाह / प्रशिक्षण आदि व्यय ।
6. अन्य विविधि व्यय यदि कोई हो ।

(उपरोक्त से सम्बन्धित किये गये भुगतान के बीजक एवं भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रतियाँ, प्रमाणीकरण हेतु किये गये कुल व्यय के चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें)

8. प्रमाणीकरण हेतु पहले से प्राप्त प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान का विवरण:-
(यदि आई.एस.ओ-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार/वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की गई हो)
9. टिप्पणी/अन्य

अनुलग्नक - 2

Certificate from Chartered Accountant in respect of Proof of Expenditure incurred for acquiring ISO-9000/ISO-14000

(in a C.A. Letter Head)

TO WHOM IT MY CONCERN

The documents & records of M/s. _____ with their Regd. Office at _____ and factory located at _____ I.E.M./L.O.I./E.O.U./F.D.I./F.T.C./ Permanent SSI Registration No. _____ dt. _____ in respect of the expenditure incurred by them in acquiring ISO-9000/ISO-14000 Certificate (or its equivalent) have been verified, and it is certified that the said company have incurred a total expenditure of Rs. _____ (Rupees _____) towards Application fee; Assessment/Audit fee; Annual Fee/Licence fee; Training; Calibration; and Technical Consultancy etc. (excluding hotel & travel expenses & Surveillance charges) in obtaining ISO-9000/ISO-14001 from the Certification Agency namely _____; as per the following details of payments :

Details of Payments (Name of Certification Agency/Orgn.) Amount paid (Rupees in words)

- a) Application Fee paid to _____
 - b) Assessment/Audit Fee paid to _____
 - c) Annual Fee/Licence Fee paid to _____
 - d) Calibration Charges paid to _____
 - e) Technical Consultancy Charges paid to _____
 - f) Training Expenses paid to _____
 - g) Other misc. Expenses related to Certification _____
- TOTAL** _____

Place : _____ Signature of the Chartered Accountant
with Name, Stamp & CA Membership
Number)

Dated _____

- (Payments at (a), (b) & (c) above should be supported by copies of receipts of payments made to the Certification Agency, duly attested. The payment receipts must indicate the purpose for which the payments have been made to the Certification Agency.)

(रु0 100/- के नॉन जुडीशियन स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पति
श्री निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी
मैसर्स (पंजीकृत कार्यालय का पूरा
पता) इकाई के
कार्यस्थल का पूरा पता

जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग/लघु उद्योग/लघुत्तर उद्योग/अनुपूरक उद्योग के रूप में पंजीयन संख्या दिनांक से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं, निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:-

1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0 प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही (योजना का नाम) योजनान्तर्गत रु0..... अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में

प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।

6. मैं (पूरा नाम) पुत्र
श्री प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार
सर्वश्री (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ
कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य
अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा
सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड
ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा
अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण
रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

1.

2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।

पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. इकाई का पता :
(क) कार्यशाला :
(ख) फ़ैक्ट्री स्थल :
2. लघु उद्योग स्थाई पंजीकरण/आई.ई.एम.
/एल.ओ.आई. संख्या एवं दिनांक:
(पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
3. उत्पाद का विवरण :
4. 1. इकाई का पूंजी निवेश (लाख रू0 में) भूमि/भवन:-
प्लाण्ट/मशीनरी:-
2. अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता:- मात्रा:-
मूल्य (लाख रू0 में):-
3. रोजगार सृजन:-
(क) कुशल :
(ख) अर्द्धकुशल :
5. (क) पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक:-
(ख) पेटेण्ट किये गये उत्पादों का विवरण एवं वैधता अवधि :
(ग) पेटेण्ट पंजीकरण करने वाली अधिकृत संस्था/प्राधिकारी का नाम व पता :
(पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
6. पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन किये जाने में व्यय की गई धनराशि का विवरण:-

क्र. सं.	मद का विवरण	संस्था/ हेतु	ऐजेन्सी, भुगतान	चालान/ वाउचर किया	प्राप्ति संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	

(व्यय की गई धनराशि की सी0ए0 प्रमाण पत्र अनुलग्नक-1 पर प्रस्तुत किया जाय तथा व्यय की गई धनराशि के प्रमाणित बिल वाउचर एवं प्राप्ति रसीदें दावे के साथ संलग्न करें)

6. इकाई द्वारा इससे पूर्व इस मद में कोई प्रतिपूर्ति सहायता ली गई है अथवा नहीं :

(इस आशय का शपथ पत्र अनुलग्न-2 के
अनुरूप दिया जाए)

7. अन्य विवरण, यदि कोई आवश्यक हो :

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं (पूरा नाम) पुत्र श्री
निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री(पूरा पता)
यह घोषणा करता हूँ, कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि आवेदन
पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं
सरकार से उपरोक्त कार्य के लिये प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता मय दण्ड ब्याज के अधिकृत
अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर, पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री(कार्यालय
पता) (इकाई के कार्य स्थल
का पता)लघु उद्योग स्थाई पंजीयन
संख्या/बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग पंजीयन संख्यादिनांक
..... भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित एक लघुत्तर/लघु/लघु स्तरीय सेवा व्यवसाय
इन्टरप्राइज/अनुपूरक उद्योग अथवा बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में आई.एस.ओ.
-9000/14000 प्रमाणीकरण संख्यादिनांक.....प्राप्त
करते समय कार्यरत एवं उत्पादनरत थी तथा वर्तमान में भी निरन्तर कार्यरत एवं उत्पादनरत है।
आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच के आधार
पर इकाई द्वारा पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन हेतु कुल व्यय धनराशि रु0किया गया है।
पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इन्हें धनराशि रु0
..... प्रोत्साहन सहायता के रूप में स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। इकाई को
इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस
मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं है।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

Certificate from Chartered Accountant in respect of Proof of Expenditure incurred for acquiring Patent Registration

**(in a C.A. Letter Head)
TO WHOM IT MY CONCERN**

The documents & records of M/s. _____
with their Regd. Office at _____
and factory located at _____
I.E.M./L.O.I./E.O.U./F.D.I./F.T.C./ Permanent SSI Registration No.
_____ dt. _____ in respect of
the expenditure incurred by them in acquiring ISO-9000/ISO-14000
Certificate (or its equivalent) have been verified, and it is certified that the
said company have incurred a total expenditure of Rs. _____
(Rupees _____) towards
Application fee; Assessment/Audit fee; Annual Fee/Licence fee; Training;
Calibration; and Technical Consultancy etc. (excluding hotel & travel
expenses & Surveillance charges) in obtaining ISO-9000/ISO-14001 from
the Certification Agency namely _____; as per
the following details of payments :

Details of Payments (Name of Certification Agency/Orgn.) Amount paid
(Rupees in words)

- a) Application Fee paid to _____
- b) Assessment/Audit Fee paid to _____
- c) Annual Fee/Licence Fee paid to _____
- d) Calibration Charges paid to _____
- e) Technical Consultancy Charges paid to _____
- f) Training Expenses paid to _____
- g) Other misc. Expenses related to Certification _____

TOTAL _____

Place : _____

Signature of the Chartered
Accountant with Name,
Stamp & CA Membership
Number)

Dated _____

- **(Payments at (a), (b) & (c) above should be supported by copies of receipts of payments made duly attested. The payment receipts must indicate the purpose for which the payments have been made.)**

(रु0 100/- के नॉन जुडीशियल स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पति
श्री निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी
मैसर्स (पंजीकृत कार्यालय का पूरा
पता)इकाई
के कार्यस्थल का पूरा पता

जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से बृहत एवं
मध्यम स्तरीय उद्योग/लघु उद्योग/लघुत्तर उद्योग/अनुपूरक उद्योग के रूप में पंजीयन
संख्या दिनांक से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं,
निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:-

1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
..... (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0
..... प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही
..... (योजना का नाम)
योजनान्तर्गत रु0 अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग

केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।

6. मैं (पूरा नाम)
..... पुत्र श्री
..... प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार
सर्वश्री (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ
कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य
अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा
सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड
ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा
अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण
रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

1.

2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।

औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

(प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन)

- योजना का नाम:- यह वित्तीय प्रोत्साहन सहायता औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन सहायता कहलायेगी।
- योजना का स्वरूप:- पर्यावरण के अधिकाधिक सुरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रक उपकरण स्थापित करने हेतु किये गये व्यय, जिसमें ऐसे प्लान्ट/मशीनरी तथा न्यूनतम सिविल कार्य सम्मिलित हों, का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 1,00,000/- प्रति इकाई प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराई जायेगी, परन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी।
- योजना का प्रारम्भ:- यह योजना 24-6-2003 से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31-3-2008 तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि शासन द्वारा अन्यथा इससे पूर्व कोई निर्णय न लिया जाए। इस योजना के प्रारम्भ के साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में लागू पूर्व प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन सहायता योजना समाप्त हो जायेगी।
- योजना हेतु पात्रता:- इस योजना हेतु प्रदेश में स्थित वह सभी पंजीकृत बृहत/मध्यम तथा लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयाँ पात्र होंगी, जिन्होंने अपने उद्योग के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र की स्थापना की हो तथा उससे प्रदूषण नियंत्रण में योगदान प्राप्त हुआ हो।
- योजना का कार्यान्वयन:-
1. योजना उत्तरांचल राज्य के उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवश्यक विचारोपरान्त स्वीकृति जारी की जायेगी।
 - 1) जिलाधिकारी अध्यक्ष
 - 2) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तरांचल सदस्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 - 3) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग सदस्य सचिव केन्द्र

2. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना के पश्चात इकाई द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर उपादान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
3. इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी कन्सल्टेन्सी एजेन्सी से परियोजना रिपोर्ट तैयार करायी जायेगी तथा परियोजना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
4. समिति द्वारा मामला स्वीकृत होने पर बजट उपलब्धता को दृष्टिगत करते हुए इकाई को भुगतान किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र एवं अपेक्षित शपथ पत्र निर्धारित अनुलग्नक-1 व 2 प्रारूप पर प्रस्तुत किया जायेगा।
6. भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था अथवा अन्य स्रोतों से इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त किये जाने/न किये जाने पर सम्बन्ध में निर्धारित मूल्य रू0 100/- के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र निर्धारित अनुलग्नक-2 के अनुरूप प्रस्तुत किया जायेगा। यदि अन्य संसाधनों से इस प्रयोजन हेतु किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की गई हो, तो उपरोक्त अधिकतम सीमा तक अवशेष सहायता स्वीकृत की जा सकेगी, किन्तु इस हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त प्रोत्साहन सहायता की धनराशि इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।
7. योजना में शासन द्वारा समय-समय पर संशोधन अथवा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जा सकते हैं।
8. योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा दिया जाने वाला निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

प्रदूषण नियंत्रण साधनों की स्थापना पर प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. इकाई का नाम व पता :
(क) कार्यालय का नाम व पता :
(ख) फैक्ट्री स्थल का नाम व पता :
2. पंजीकरण संख्या व दिनांक :
(क) लघु उद्योग पंजीकरण संख्या व दिनांक :
(ख) आई.ई.एम./एल.ओ.आई. संख्या व दिनांक:
3. उत्पाद :
4. पूंजी विनियोजन :
(1) भूमि, भवन :
(2) प्लाण्ट/मशीनरी :
(3) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर :
(4) अन्य विविध मद :
5. उत्पादन क्षमता :
6. रोजगार :
7. प्रदूषण नियंत्रण यंत्र संयंत्र स्थापना पर व्यय का विवरण :
(क) निर्माण कार्यों पर व्यय
(ख) यंत्र/संयंत्र पर व्यय
(ग) लेबोरेट्री पर व्यय
(घ) परियोजना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति/अनुमोदन का वितरण
(उपरोक्त से सम्बन्धित किये गये व्यय/भुगतान के बीजक एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियाँ एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र दावे के साथ प्रस्तुत किया जाय)
8. प्रदूषण नियंत्रण यंत्र संयंत्र हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य संस्था से प्राप्त सहायता का विवरण, यदि सहायता प्राप्त की गई हो। सहायता प्राप्त न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र अनुलग्नक-2 पर दिया जाय।
9. अन्य विवरण:-

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं (पूरा नाम) पुत्र श्री

.....निदेशक / निदेशक / स्वामी / साझेदार सर्वश्री

..... (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं सरकार से उपरोक्त कार्य के लिये प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता मय दण्ड ब्याज के अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर, पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

निदेशक / साझेदार / स्वामी के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री

.....(कार्यालय पता)

..... (इकाई के कार्य स्थल का पता)

..... लघु उद्योग स्थाई पंजीयन संख्या / बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग पंजीयन संख्या ...

.....दिनांक भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित एक लघुत्तर / लघु / लघु स्तरीय सेवा व्यवसाय इन्टरप्राइज / अनुपूरक उद्योग अथवा बृहत एवं मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना के समय कार्यरत एवं उत्पादनरत थी तथा वर्तमान में भी निरन्तर कार्यरत एवं उत्पादनरत है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच के आधार पर इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना हेतु कुल व्यय धनराशि रु0 किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इन्हें धनराशि रु0.....

.... प्रोत्साहन सहायता के रूप में स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। इकाई को इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान / प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं है।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

(रु0 100/- के नॉन जुडीशियल स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पति
श्री निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी
मैसर्स (पंजीकृत कार्यालय का पूरा
पता)इकाई
के कार्यस्थल का पूरा पता

जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से बृहत एवं
मध्यम स्तरीय उद्योग/लघु उद्योग/लघुत्तर उद्योग/अनुपूरक उद्योग के रूप में पंजीयन
संख्या दिनांक से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं,
निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:-

1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
..... (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0
..... प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही
..... (योजना का नाम)
योजनान्तर्गत रु0 अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग

केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।

6. मैं (पूरा नाम)
..... पुत्र श्री
..... प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार
सर्वश्री (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ
कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य
अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा
सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड
ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा
अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण
रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

1.

2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।